बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि0सं0–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–05/2022–........../ पटना, दिनांक–..............2026

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम–3 के आलोक में श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0–936, दिनांक–29.12.2025 द्वारा दिनांक–15.12.2025 के प्रभाव से राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) एवं 3(ड.) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भते) अधिनियम, 2006 की धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288, दिनांक–23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के पत्रांक–BIH/03, दिनांक–17.12.2025 द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में श्री राकेश रंजन, बिहार राजस्व सेवा सम्प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अपना आप्त सचिव (राजपत्रित) नियुक्त करने की अनुशंसा इस आशय के साथ की गयी है कि वे उनके संगे–संबंधी नहीं है। उक्त के आलोक में संसदीय कार्य विभाग के पत्र सं0–952, दिनांक– 30.12.2025 द्वारा श्री राकेश रंजन की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंपने हेतु अनुरोध किया गया।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–434, दिनांक–17.02.2026 द्वारा श्री राकेश रंजन की सेवा श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय सचेतक, सत्तारूढ दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए संसदीय कार्य विभाग को सौंपी गयी है। तद्नुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिये अधिसूचना निर्गत की जाती है। श्री राकेश रंजन की सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर लौटायी जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. श्री राकेश रंजन, आप्त सचिव (राजपत्रित) के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

C:\RAHUL-D\STANDARD FORMAT OF NOTIFICATION AND OFFICE ORDER-30-09-2024\Format C FINAL_Govt. PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-2.doc

ज्ञापांक–सं0का0–01 / वि0मं0(महानुभाव)–08–05 / 2022–........... / पटना, दिनांक–................2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा / अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना / लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा / श्री राकेश रंजन, आप्त सचिव (राजपत्रित), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01 / वि0मं0(महानुभाव)–08–05 / 2022–........... / पटना, दिनांक–................2026

प्रतिलिपि–अकबर अली, अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उनके ज्ञापांक–434, दिनांक–17.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01 / वि0मं0(महानुभाव)–08–05 / 2022–266 / पटना, दिनांक–24.02.2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

24-02-2026

सरकार के अवर सचिव ।